भारत के राजपत्र- असाधारण भाग I के खण्ड-I में प्रकाशन हेतु

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

सं.7/टीडीआरओ/6/2019 दिनांक : 07/03/2019

हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना (संशोधित)

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जारी वस्त्र (विकास एवं विनियमन) आदेश, 2001 के खण्ड 3, 8 एवं 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं वर्तमान हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना सं.2/टीडीआरओ/8/2003, दिनांक 17/04/2003 सहपठित संशोधित अधिसूचना सं.4/टीडीआरओ/8/2010 दिनांक 31/03/2010,सं.05/टीडीआरओ/8/2015 दिनांक 02/09/2015 एवं सं.06/टीडीआरओ/8/2018 दिनांक 25/05/2018, में, निम्नानुसार संशोधन करता हूँ:-

क्र. सं.	हैक यार्न पैकिंग अधिसूचना संख्या 2/टीडीआरओ /8/2003 दिनांक 17/04/2003 सहपठित संशोधित अधिसूचना संख्या 04/ टीडीआरओ /8/2010 दिनांक 31/03/2010 के मौजूदा पैरा जिसमें संशोधन किया जाना है	मौजूदा उपबंध	संशोधित उपबंध
1.	भाग-II,पैरा 6(1)	यार्न का प्रत्येक उत्पादक जो नागरी उपयोग के लिए यार्न पैक करता है वह जनवरी-मार्च,2003 की अवधि से शुरु होने वाली प्रत्येक त्रैमासिक अवधि एवं प्रत्येक अनुवर्ती त्रैमासिक अवधि में हैंक रुप में उतना यार्न पैक करेगा, जो नागरी उपभोग हेतु प्रत्येक त्रैमासिक अवधि के दौरान उसके द्वारा पैक किये गए कुल यार्न के अनुपात में 40% से कम न हो। उपबंधित करता है कि हैंक रुप में पैक किया जाने वाले यार्न का कम से कम 80 प्रतिशत 80 एवं उससे कम काउंट का होगा।	यार्न का प्रत्येक उत्पादक जो नागरी उपयोग के लिए यार्न पैक करता है वह जनवरी-मार्च,2019 की अवधि से शुरु होने वाली प्रत्येक त्रैमासिक अवधि एवं प्रत्येक अनुवर्ती त्रैमासिक अवधि में हैंक रुप में उतना यार्न पैक करेगा, जो नागरी उपभोग हेतु प्रत्येक त्रैमासिक अवधि के दौरान उसके द्वारा पैक किये गए कुल यार्न के अनुपात में तीस प्रतिशत (30%) से कम न हो। उपबंधित करता है कि हैंक रुप में पैक किया जाने वाले यार्न का कम से कम 80 प्रतिशत 80 एवं उससे कम काउंट का होगा।

हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना संख्या सं.2/टीडीआरओ/8/2003, दिनांक 17/04/2003 सहपठित संशोधित अधिसूचना सं.4/टीडीआरओ/8/2010 दिनांक 31/03/2010, सं.05/टीडीआरओ/8/2015 दिनांक 02/09/2015 एवं सं.06/टीडीआरओ/8/2018 दिनांक 25/05/2018, की अन्य शर्तों एवं विनिर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

यह अधिसूचना 01 जनवरी 2019 से लागू होगी।

संजय शरन

(संजय शरन)
वस्त्र आयुक्त

सेवा में
प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली-110064

(उक्त अधिसूचना को गजट में यथाशीघ्र प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ)